राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2527/2016

किशोरी लाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त (मु.), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2016 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिस आदेश के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की है।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 20.11.1989 को हुई थी। अपीलार्थी का पदस्थापन जयपुर जिले में विभिन्न पुलिस थानों रहा। वर्ष 1994 में अपीलार्थी कांस्टेबल के पद पर पुलिस लाईन जयपुर में कार्यरत था। अपीलार्थी को रिश्वत के मामले में चार्जशीट दी गई और अपीलार्थी के विरूद्ध एफ.आई.आर. प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी को अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी मानते हुए अपीलार्थी को तीन वार्षिक वेतन वृद्धि को रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी ने उक्त निर्णय को विभागीय अपील के द्वारा चुनौती दी, जो अभी लम्बित है। अपीलार्थी ने यह तथ्य भी अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को उक्त मामले में न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका है। अपीलार्थी के अलावा उसी मामले में अन्य कांस्टेबल प्रभुदयाल को भी बरी किया जा चुका है। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य अंकित किये हैं कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में दी गई उक्त सजा के अलावा अपीलार्थी के विरूद्ध अन्य कोई मामला नहीं है और अपीलार्थी का समस्त सेवाभिलेख अच्छा रहा है। अपीलार्थी को

समय–समय पर प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किये गये हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी का सेवाभिलेख ठीक प्रकार से नहीं देखा गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध जो शिकायत दर्ज हुई थी, उसी मामले में एक अन्य व्यकित प्रभुदयाल को भी अपीलार्थी के साथ बरी किया गया था, परंतु प्रभुदयाल को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति प्रदान नहीं की गई है, केवल अपीलार्थी को प्रदान की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुये कार्यवाही की गई है, जो दुर्भावनापूर्वक होना प्रकट होता है। अपीलार्थी को जो समय–समय पर प्रशस्ति पत्र दिये गये उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध केवल एक आरोप होने पर अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है, जबकि उस आरोप में अपीलार्थी को दण्डित किया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दोबारा दण्डित नहीं किया जा सकता।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन अंकित किये गये हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपीलार्थी का सेवा रिकॉर्ड, एपीए फोल्डर एवं दण्डादेश का अध्ययन कर निम्नानुसार टिप्पणी प्रेषित की हैः–

दण्डादेशों का विवरण	एपीए का विवरण	स्क्रीनिंग कमेटी की टिप्पणी
1. डीओबी 407 दि. 09.02.1994 द्वारा 01 वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव के बन्द नियम 17सीसीए के अन्तर्गत स्वच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण। 2. डीओबी 3183 दि. 04.09. 2000 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव के बन्द– नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण। 3. डीओबी 4291 दि. 08. 12.2000 परिनिन्दा– द्वारा नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत मुल्जिम पेशी ड्यूटी भीलवाडा मुकर्रर करने पर ड्यूटी पर जाने से मना किया। 4. डीओबी 2929 दि. 09.08.2001 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव से बन्द– नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत ड्यटी हेतु रवाना किया किन्तु ड्यूटी पर	08–09 अच्छा। 09.10 संतोषप्रद। 10–11 अच्छा। 11–12 अच्छा। 12–13 संतोषप्रद। 13–14 – 14–15 –	कुल ईओएल–622 उक्त कानिस्टेबल की सजाओं एवं आरोप पत्रों का अवलोकन किया गया जिसमें कानि० स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने का आदि है एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना अनुशासन हीनता का परिचायक है तथा माननीय न्यायालय में मुल्जिम पेशी के बाद मुल्जिमों को अपने निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करना व अपनी तैनाती स्थान पर नहीं पंहुच कर ईलाका थाना चौमूं पंहुच कर वाहनों की अवैध रूप से चैकिंग कर वाहन चालक से उत्कोच के रूप में राशि 50 रूपये लिये तथा 150 रूपये और देने की कहा। कानि० द्वारा इस प्रकार का कृत्य कर विभाग की छवि धूमिल की गई। अतः कानिस्टेबल लोकहीत

नहीं जाकर स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित रहने के कारण। 5. डीओबी 1287 दि. 20. 04.2010 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव से बन्द–नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत मुल्जिम दलविन्दर पुत्र शीशा सिंह को बाद मुल्जिम पेशी के केन्द्रीय कारागृह जयपुर में दाखिला कराते समय बन्दी की तलाशी लेने पर बन्दी की पगडी में 01 मोबाईल मय बैटरी बिना सिम बरामद की। 6. डीओबी 2275 दि. 24.07.2003 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव से बन्द– नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण। 7. डीओबी 3615 दि. 09. 09.12 द्वारा परिनिन्दा– नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत आप द्वारा रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान एसएलआर हथियार, को सावधानी से नहीं रखने पर हथियार का ओपनिंग कवर गुम करने पर। 8. डीओबी 5106 दि. 10. 12.2015 द्वारा तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से बन्द– नियम 16/18 सीसीए के अन्तर्गत अपने कार्यस्थल पर नहीं पंहुच कर स्वेच्छा से चौमूं रोड पर मोरिजा के पास, बन्डोल नदी इलाका थाना चौमूं में पंहुचे व ट्रक नं० आर.एन.जी. 2555 को अवैध रूप से रोककर चैकिंग की व चालक श्री सायर कुमार से उत्कोच के रूप में 50 रूपये लिये तथा 150 रूपये और देने को कहा।		राजहित अनिवार्य को एवं में सेवानिवृति प्रदान किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 284 अधिकारी/कर्मचारियों के रिकार्ड का अवलोकरन कर 04 कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने हेतु अनुशंषा

की गई थी जिन्हे इस कार्यालय के पत्रांक 3746 दिनांक 17.03.2016 के द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हाउसिंग राजस्थान, जयपुर अध्यक्ष रिव्यू स्क्रीनिंग कमेटी को भिजवाया गया था। जिसके क्रम में महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर के पत्रांक 2858 दिनांक 21.08.2016 के द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर के 10 अधिकारी/कर्मचारीगण को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी करने एवं इन्हे 03 माह का वेतन प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त होने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 11900 दिनांक 26.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी श्री किशोरी लाल पुत्र श्री गिरधारी लाल, कानि० 3229 को मय 03 माह के वेतन रूपये 74,232/–रूपये के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है। अतः अपील याचिका में वर्णितानुसार तथ्य आधारहीन है, उक्त कानिस्टेबल को सम्पूर्ण सेवाकाल में 08 बार दण्डित किया गया है तथा संयुक्त शासन सचिव (पुलिस) गृह (ग्रुप–1) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प–2(17) गृह–1/2011 दिनांक 16.08.2016 के द्वारा उक्त पुलिसकर्मी को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने हेतु सहमति भी प्रदान की गई है। अतः अपील याचिका खारिज किये जाने योग्य है। श्री प्रभुदयाल कानि० को अपने संपूर्ण सेवाकाल में केवल 05 बार दंडित किया गया है, जबकि श्री किशोरी लाल, भूतपूर्व कानि० नं0 3229 को अपने संपूर्ण सेवा काल में 08 बार दण्डित किया गया है। उक्त दोनो कानि० गण पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के अलग–अलग जिला यूनिटों में पदस्थापित हैं तथा उक्त दोनो कानि० गण की आन्तरिक स्क्रीनिंग कमेटी भी भिन्न–भिन्न थी। अतः उक्त दोनो कानि० गण की सजाओ का तुलनात्मक चार्ट निम्नानुसार है :–

श्री किशारी लाल कानि0 3229 (अनिवार्य सेवानिवृत्त) को संपूर्ण सेवाकाल में मिले दण्डादेशों का विवरण	**श्री प्रभु दयाल, कानि.2694 को संपूर्ण सेवाकाल में मिले दण्डादेशों का विवरण**
1. डीओबी 407 दि. 09.02.1994 द्वारा 01 वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव के बन्द–नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण। 2. डीबोबी 3183 दि. 04.09.2000 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव के बन्द–नियम 17सीसीए के अन्तर्गत स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण।	1. आ.क्रं.35343–46 दिनांक 29.10. 1994 के परिनिन्दा–नियम द्वारा 17 सीसीए के तहत गैर हाजिर होने के कारण। 2. डीओबी 314 दिनांक 05.02.1996 के द्वारा एक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव के बन्द–नियम 17 सीसीए के तहत गैर हाजिरी के कारण। 3. डीओबी 64 दिनांक 08.01.1996 के द्वारा 01 वेतन एक वेतन वृद्धि बिना

3. डीओबी 4291 दि. 08.12.2000 द्वारा परिनिन्दा–नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत मुल्जिम पेशी ड्यूटी भीलवाडा मुकर्रर करने पर ड्यूटी पर जाने से मना किया। 4. डीओबी 2929 दि. 09.08.2001 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव से बन्द–नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत ड्यटी हेतु रवाना किया किन्तु ड्यूटी पर नहीं जाकर स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित रहने के कारण। 5. डीओबी 1287 दि. 20.04.2010 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव से बन्द–नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत मुल्जिम दलविन्दर पुत्र शीशा सिंह को बाद मुल्जिम पेशी के केन्द्रीय कारागृह जयपुर में दाखिला कराते समय बन्दी की तलाशी लेने पर बन्दी की पगडी में 01 मोबाईल मय बैटरी बिना सिम बरामद की। 6. डीओबी 2275 दि. 24.07.2003 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव से बन्द– नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण। 7. डीओबी 3615 दि. 09.09.12 द्वारा परिनिन्दा– नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत आप द्वारा रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान हथियार, एसएलआर को सावधानी से नहीं रखने पर हथियार का ओपनिंग	भावी प्रभाव के बन्द–नियम 17 सीसीए के तहत गैर हाजिरी के कारण। 4. डीओबी 4143 दिनांक 03.06.2002 परिनिन्दा–के नियम द्वारा 17 सीसीए के तहत गैर हाजिरी के कारण। 5. डीओबी 5106 दि. 10.12.2015 द्वारा तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से बन्द– नियम 16/18 सीसीए के अन्तर्गत। **सीसीए विभागीय जांच ड्रॉप (मुख्यालय) कुल 86 योम असाधारण अवकाश ।**

कवर गुम करने पर। 8. डीओबी 5106 दि. 10.12.2015 द्वारा तीन वार्षिक वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से बन्द–नियम 16/18 सीसीए के अन्तर्गत अपने कार्यस्थल पर नहीं पंहुच कर स्वेच्छा से चौमूं रोड पर मोरिजा के पास, बन्डोल नदी इलाका थाना चौमूं में पंहुचे व ट्रक नं० आर.एन. जी. 2555 को अवैध रूप से रोककर चैकिंग की व चालक श्री सायर कुमार से उत्कोच के रूप में 50 रूपये लिये तथा 150 रूपये और देने को कहा। **कुल 622 योम असाधारण अवकाश ।**	

4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि प्रत्यर्थी पुलिस आयुक्तालय, जयपुर स्तर पर गठित आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उक्त कानिस्टेबल को संपूर्ण सेवाकाल में मिले दण्डों एवं पुरस्कार का अवलोकन करने के पश्चात् ही इन्हे अनिवार्य सेवानिवृत्त करने की अनुशंषा की जाकर यह टिप्पणी की गई कि **"उक्त कानिस्टेबल की सजाओं एवं आरोप पत्रों का अवलोकन किया गया जिसमें कानि० स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने का आदि है एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना अनुशासन हीनता का परिचायक है तथा माननीय न्यायालय में मुल्जिम पेशी के बाद मुल्जिमों को अपने निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करना व अपनी तैनाती स्थान पर नहीं पंहुच कर ईलाका थाना चौमूं पंहुच कर वाहनों की अवैध रूप से चैकिंग कर वाहन चालक से उत्कोच के रूप में राशि 50 रूपये लिये तथा 150 रूपये और देने की कहा। कानि० द्वारा इस प्रकार का कृत्य कर विभाग की छवि धूमिल की गई। अतः कानिस्टेबल को लोकहीत एवं राजहित में अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान किये जाने की अनुशंषा की जाती है।"**

5. प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना, मुल्जिम पेशी ड्यूटी करने मुकर्रर करने पर ड्यूटी पर जाने से मना करना, वाहनों को अवैध रूप से रोक कर चैंकिग करना एवं उत्कोच के रूप में 50/– रूपये लेने और 150/– रूपये और देने

के लिये कहा जाना आदि आंतरिक कमेटी ने माना है। प्रत्यर्थी विभाग ने यह भी तर्क किया है कि अपीलार्थी को उसके सम्पूर्ण सेवाकाल में 8 बार दण्डित किया जा चुका है।

6. हमारे मत में अपीलार्थी का समस्त सेवा रिकॉर्ड आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा देखा गया है, जिसके पश्चात ही अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुशंषा की गई है। अपीलार्थी की अनिवार्य सेवानिवत्ति के संबंध में रिव्यू कमेटी द्वारा भी निरीक्षण किया गया, जिसमें अपीलार्थी को राज्यहित एवं लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति योग्य माना है। जहां तक अपीलार्थी का समस्त सेवा रिकॉर्ड देखकर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है, उस आदेश को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक की कोई दुर्भावना नहीं रही हो या गलत रूप से रिकॉर्ड को देखा गया हो। अपीलार्थी के अभिलेख पर चूंकि विचार किया जा चुका है और यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के अभिलेख में समय–समय पर उसको पेनेल्टी दी गई है। ऐसे में अपीलार्थी के समस्त रिकॉर्ड को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग ने विषयात्म संतुष्ठी के आधार पर विचार किया है, उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में न्यायालय के द्वारा किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप या पुर्नविलोकन किया जा सकता है, इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय 1992(2) एस.सी.सी. पेज 299 बैकुण्ठनाथ दास बनाम मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी, बरीपदा के प्रकरण में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैं :–

i. अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई दण्ड नहीं है, यह कार्मिक पर कोई दाग नहीं होता है ना ही यह उसके दुर्व्यवहारी होने का अनुमान इंगित करने वाला होता है।

ii. इस हेतु सरकार को यह राय कायम करनी होती है कि किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्त करना लोकहित में है व उक्त राय के आधार पर आदेश पारित करना होता है। यह आदेश सरकार के विषयात्मक संतुष्टि (Subjective Satisfaction) के आधार पर जारी किया जाता है।

iii. अनिवार्य सेवानिवृत्त हेतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का कोई स्थान या भूमिका नहीं होती है परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उक्त आदेश न्यायिक संवीक्षा से बाहर है। न्यायालयों द्वारा सेवानिवृत्ती के आदेश की समीक्षा अपीलीय न्यायालय की तरह नहीं की जा सकती है परन्तु यदि आलोच्य आदेश (A) दुर्भावनापूर्ण हो (B) बिना साक्ष्य आधारित हो (C) इस

प्रकार का मनमाना हो कि युक्तियुक्त व्यक्ति भी यह अनुमान/राय बना ले कि उक्त आदेश मनमाना है अर्थात् दुराग्रहपूर्ण है।

iv. सरकार या रिव्यू कमेटी इस प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से पूर्व कार्मिक का सम्पूर्ण सेवा रिकॉर्ड विचार में लेगी व उक्त रिकॉर्ड में भी बाद के वर्षो के रिकॉर्ड पर ज्यादा महत्व प्रदान किया जायेगा। इस रिकॉर्ड में कार्मिक का गोपनीय प्रतिवेदन/ चरित्र प्रतिवेदन (अनुकूल व प्रतिकूल दोनों ही) शामिल होते हैं। यदि किसी कार्मिक को किन्हीं प्रतिकूल प्रविष्टियों के उपरान्त भी उच्च पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है तो ऐसी प्रविष्टियां अपनी प्रतिकूलता/विष–डंक खो देती है, वह भी उस स्थिति में अधिक जहां पर कि ऐसी पदोन्नति मेरिट पर, ना कि वरिष्ठता के आधार पर आधारित हो।

v. कोई न्यायालय केवल इस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को अपास्त नहीं कर सकता कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु जिन प्रतिकूल रिमार्क/प्रविष्टियों को विचारणार्थ लिया गया था, वे रिमार्क/प्रविष्टियां कर्मचारी को संसूचित नहीं की गयी थी।

इस प्रकार कोई न्यायालय अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश में हस्तक्षेप आधार संख्या (iii) में वर्णित आधार पर ही कर सकता है।

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह स्पष्ट है कि सेवानिवृति के मामले में सरकार को लोकहित में अपनी राय कायम करनी होती है, जो कि विषयात्मक संतुष्टि के आधार पर कायम की जानी होती है और ऐसा करने के लिए संपूर्ण सेवाभिलेख पर विचार करना होता है।
8. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के अच्छे सेवाभिलेख पर गोर नहीं किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग का कथन रहा है कि अपीलार्थी के समस्त सेवाभिलेख पर गौर किया गया है। आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी के समक्ष समस्त सेवाभिलेख भेजा जाता है। रिपोर्ट में अपीलार्थी को प्राप्त रिवार्ड एवं प्रशस्ति पत्रों का उल्लेख नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी के अच्छे सेवाभिलेख का उल्लेख नहीं किया गया हो। तुलनात्मक दृष्टि से यदि आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी यह पाती है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जो शास्ति आदेश समय समय पर पारित किये गये हैं, उनके आधार पर अपीलार्थी को सेवा में रखना लोकहित में उचित नहीं है तो ऐसे निर्णय पर अधिकरण को हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
9. हमारे मत में आंतरिक स्क्रिनिंग कमेटी व रिव्यू कमेटी द्वारा समग्र सेवाभिलेख पर विचार कर निर्णय लिया है। इस प्रकरण में यह नहीं माना जा सकता कि

अपीलार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत किये जाने का कोई आधार मौजूद नहीं हो। ऐसे में हम यह पाते हैं कि ऐसे प्रकरणों में स्क्रिनिंग कमेटी व रिव्यू कमेटी के विवेक से लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

10. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः यह अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)